न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी – श्री [illegible]

प्रकरण संख्या [illegible]

GCMS Portal 2024/53

प्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बिराई, तहसील–बालेसर, जिला–जोधपुर ग्रामीण।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. पन्नाराम पुत्र जीयाराम जाति– सुथार, निवासी–हिंगलाज नगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम 1956

–निर्णय–

दिनांक– 15 अक्टूबर 2024

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त मे मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिराई ने अप्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने राजस्व ग्राम हिंगलाज नगर के खसरा नम्बर 896 व 897/1 किस्म गै.मु. रास्ता व नदी रकबा क्रमशः 1.02 बीघा व 0.14 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबंदी, पक्का शेड व बाथरूम बनाकर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि खसरा संख्या 896 व 897/1 किस्म गै.मु.रास्ता व नदी के बगल में ही खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के सीमाज्ञान करवाने के लिए निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा बताया गया है कि अगर उक्त वादग्रस्त खसरों में अतिक्रमण पाया जाता है कि तो व वादग्रस्त आराजी को खाली करने के लिए सहमत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया गया है कि उसका कब्जा खसरा संख्या 896 व 897/1 के बगल में है। अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सीमाज्ञान के लिए नियमानुसार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है तथा वह अपने स्तर पर सीमाज्ञान का आवेदन कर सकता है। अप्रार्थी भूमि आवंटन नियमन की शर्तें पूरी नहीं नहीं करता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया

15/10/24

जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि रूपये 139 अक्षरे एक सौ उनतालीस रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करावें। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

15/10/24

तहसीलदार बालेसर
जिला - जोधपुर